

बैंक प्रबन्धनकी विफलता

किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी बैंकमें जब कोई व्यक्ति अपना खाता खोलवाता है तो उसे अपनी पहचानके बारेमें भी जानकारी देनी पड़ती है। इनमें नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, ई–मेल, आधार कार्ड, पैन नम्बर, पता, आय, ऋण, पारिवारिक आर्थिक विवरणसे सम्बन्धित जानकारी भी शामिल है। इससे सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज बैंकमें जमा होते हैं। इसलिए बैंकोंमें ग्राहकोंका केवल धन ही जमा नहीं होता, बल्कि उसका बैंकके प्रति भरोसा भी बड़ी पूंजीके रूपमें जमा होता है। बैंकोंकी जिम्मेदारी केवल ग्राहकके धनकी सुरक्षातक सीमित नहीं है, उसकी डिजिटल पहचान और निजी जीवनसे जुड़ी सूचनाओंकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्रके सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने स्वीकार किया है कि बड़े पैमानेपर उसके ग्राहकोंकी जानकारी डाक वेबपर पहुंच गयी है। हरेतिय गुप ‘सिरियसडम’ के दावेके बाद १६ अक्तुबरको श्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर, डिफेंस साइबर एजेंसी और साईंआरटी–इनकी ओरसे अलर्ट मिलनेके बाद एसबीआईने जांच भी शुरू कर दी है। एसबीआईने सेबी और स्टॉक एक्सचेंजोंको सूचना देते हुए बताया है कि डाक वेबपर उपलब्ध लगभग ३.७५ लाख रिकार्डकी प्रारम्भिक जांचमें ३८९७ ग्राहकोंकी व्यक्तिगत जानकारी मिली है। यह हालके वर्षोंमें भारतीय बैंकिंग सेक्टरमें ग्राहकोंकी डेटा चोरीका सबसे बड़ा मामला है। यह ग्राहकोंकी गोपनीयता और वित्तीय सुरक्षाको लेकर गम्भीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे निजी डेटाका दुरुपयोग आसानीसे हो सकता है। यह बैंक प्रबन्धनकी विफलताका प्रमाण है। इस घटनाका सबसे महत्वपूर्ण पहलु यह भी है कि डेटा चोरी भी आर्थिक अपराधका माध्यम बन सकती है। डेटा चोरीको केवल गोपनीयताका उल्लंघन मानना पर्याप्त नहीं है। इससे वित्तीय ठगीका रास्ता बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कहना है कि २०२५ के आउटसीर्सिंग निर्र्देश स्पष्ट करते हैं कि ग्राहकका डेटा किसी सेवा–प्रदाताके पास होनेपर भी उसकी गोपनीयता और अखण्डताकी जिम्मेदारी बैंककी ही रहती है। बैंक यह कहकर अपनी जिम्मेदारीसे बच नहीं सकता कि डेटा हमारे सर्वरसे नहीं, हमारे वैंडरसे लीक हुआ है। प्रबन्धनकी जवाबदेही इन सवालोंने तय होगी कि डेटा बैंकसे बाहर कैसे गया ? किस सिस्टम या व्यक्तिके पास अनधिकृत पहुंच थी ? क्या जरूरतसे अधिक कर्मचारियों एवं वेण्डरोंको डेटा उपलब्ध था? इसे सीधे तौरपर बैंक प्रबन्धनकी विफलता माना जाना चाहिए क्योंकि ग्राहकोंको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए डेटा लीकपर पूर्ण नियंत्रणकी जरूरत है जिससे कि ग्राहकोंका हित सुरक्षित रह सके।

बुजुर्ग सेवाकी नयी पहल

उत्तर प्रदेश सरकारका बुजुर्गोंकी सेवाके लिए पेशेवर तैयार करनेकी नयी पहल सराहनीय है जिस व्यक्तिने अपने परिवारकी देखभाल करनेमें जीवनका महत्वपूर्ण समय उनकी सेवामें लगा दिया, वहीं वृद्धावस्थामें असहाय और अनाथके तरह अकेलेमें जीवनयापन करे, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है। इस आन्तरिक पीड़ाको भुक्तभोगी ही समझ सकता है। यह तो अच्छा हुआ कि प्रदेशकी योगी आदित्यनाथ सरकारने ऐसे बुजुर्गोंकी पीड़ाको महसूस किया जो मानवीय संवेदनाकी मिसाल है। ऐसे बुजुर्गोंकी सुधि लेते हुए सरकारका ‘केयर गिवर्स’ (देखभालकर्ता) का विशेष काडर तैयार करनेका निर्णय स्वागतयोग्य है। केयर गिवर्स काडर तैयार करनेकी जिम्मेदारी समाज कल्याण विभागको सौंपना महत्वपूर्ण माना जायगा, क्योंकि यह बुजुर्गोंके समाजके कल्याणके लिए उठाया गया सार्थक कदम है। इससे उन बुजुर्गोंको राहत मिलेगी, जिनके बच्चे रोजगारके दिसखिलेमें बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग घरोंमें रह जाते हैं। इनकी सेवाके लिए कुछ लोग नाते–रिश्तेदारोंकी मदद लेते हैं तो कुछ परिचितोंके सहारे छोड़ देते हैं, जो सरकारके समक्ष बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनकी देखभालके लिए पेशेवर नहीं मिलते जिससे समस्या दिनोंदिन गहनती जा रही है। ‘केयर गिवर्स’के लिए दसवीं और बारहवीं कक्षा पास २० से ४० वर्ष आयुतकके युवक और युवतियोंको कमसे कम ६० घण्टेका प्रशिक्षण दिया जायगा। साथ ही प्रशिक्षणका माड्यूल भी तैयार किया जायगा। प्रशिक्षणमें युवक–युवतियोंको वृद्ध स्वस्थ सहायक और बुद्ध शरीर रचनाकी जानकारी दी जायगी। सरकारके इस कदमसे जहां एक ओर बुजुर्गोंकी देखभाल सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारीकी समस्या भी हल करनेमें मदद मिलेगी। पेशेवरोंकी नियुक्तिमें पारदर्शिताके साथ सावधानी बरतनी होगी। साथ ही इनकी निगरानी भी होनी चाहिए ताकि जिस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए पहल की गयी है उसका सार्थक परिणाम भी धरातलपर दिखे। सरकारकी पहल अन्य राज्योंके लिए भी अनुकरणीय है।

लोक संवाद

नशेके दलदलमें पंजाब

महोदय,–पंजाबमें आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवालने नशेका मुद्दा उठाकर वादा किया था कि सरकार बननेपर तीन महीनेके भीतर पंजाबको नशामुक्त कर दिया जायगा। पंजाब विधानसभा चुनाव २०२२ के दौरान आम आदमी पार्टीने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन नशामुक्त पंजाबका वादा अधूरा ही है। पंजाब देशके प्रमुख गेहूं उत्पादक और सिंचित कृषि क्षेत्रोंमें शामिल है, लेकिन आज उसी धर्तीका युवा नशेके दलदलमें फंस्कर अपना भविष्य खो रहा है। नशेकी लतसे परिवारोंकी जमा–पूंजी खत्म हो जाती है, इलाज और नशेकी पूर्तिके लिए कर्ज बढ़ता है और कर्ज परिवार गरीबीके दलदलमें फंस जाते हैं, जिससे पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक संकट झेलता है। दुःखद यह है कि यदि कोई नशेके खिलाफ बोलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है।—**महेश कुमार, वाया ईमेल।**

आखिर कब थमेगा धार्मिक आयोजनोंमें मौतका सिलसिला

☐ योगेश कुमार गोयले

धर्म, आस्था और विश्वासके केन्द्रीपर ईमान सुकून, शांति और सुख–समृद्धिकी कामना लेकर पहुंचता है लेकिन जब वही स्थान चीख–पुकार, दमघोंटू भीड़ और मौतके नंगरमें तब्दील हो जायं तो यह हमारी व्यवस्थाकी संवेदनहीनता और सुरक्षा संबंधी तैयारियोंकी विफलताका भयावह प्रमाण है। कोलकाताके चौरबागान दुर्गा पूजा पंडालमें १७ अक्तूबरकी शाम भगदड़ जैसी स्थितिमें १९ लोगोंकी मौत और दो दर्जनसे अधिक लोगोंके घायल होनेकी खबरने एक बार फिर देशको झकझोर दिया। समीचीन शांम मां दुर्गाके दर्शनकी लालसा लेकर निकले श्रद्धालुओंको क्या पता था कि घर लौटनेके बजाय कई परिवारोंका अपनै पिघजनेके शव मिलेंगे। जिस उत्सवमें जीवन, शक्ति और विजयका सदरेश गूंजना चाहिए था, वहां मातम पसरा था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारी आस्थाके स्थलोंपर ईसानी जिन्दगी इतनी सस्ती क्यों हो जाती है।

चौरबागानकी घटनाको केवल अचानक उमड़ी भीड़ या दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताकर जिम्मेदारीसे बचना चाहिए है लेकिन ऐसा करना ज़ासदीके वास्तविक कारणोंसे आंखें मूंदना होगा। बारिशके बीच पंडालमें प्रवेश और निकासके रास्तीपर भीड़का दबाव बढ़ा और अफरा–नफरीकी स्थिति पैदा हुई। घटनास्थलकी संकरी गलियों, लोगोंकी आवाजाही तथा सुरक्षा प्रबंधोंको लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि दुर्घटनाके वास्तविक कारणों और जिम्मेदारीका निर्धारण निष्पक्ष जांचसे ही होना चाहिए। फिर भी, यदि भारी भीड़ और खराब मौसमके बावजूद आवाजाहीकी सुरक्षित रखनेकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो यह गम्भीर प्रशासनिक और आयोजन संबंधी विफलताका मामला है। जब किसी आयोजनमें हजारों लोगोंके जुटनेकी संभावना पहलेसे मालूम हो, तब संभावित खतरेका अनुमान लगानेके लिए दुर्घटना होनेकी प्रतीक्षा क्यों की जाती है।

सर्दियोंसे पहले ही प्रदूषणकी चुनौती

सर्दियोंने अभी दस्तक भी नहीं दी है कि देशके अनेक शहरोंकी हवामें प्रदूषणका जहर घुलने लगा है। दिल्ली–एनसीआर सहित उत्तर भारतके कई क्षेत्रोंमें वायु गुणवत्ताका तेजीसे बिगड़ना इस बातका संकेत है कि प्रदूषणका संकट अब सर्दियोंकी मौसमी समस्या नहीं, बल्कि पर्यावरणीय प्रबंधनके सामने गम्भीर चुनौती बन चुका है।

☐ ललित गर्ग

हर साल अक्तुबर–नवंबरमें दमघोंटू धुंध, आंखोंमें जलन, सांस लेनेमें कठिनाई और अस्पतालोंमें बढ़ती मरीजोंकी संख्याके साथ यह संकट सामने आता है। विडंबना यह है कि समस्याके कारणोंकी पहचान होने और उपायोंकी जानकारी उपलब्ध होनेके बावजूद हम हर वर्ष उसी त्रासदीको दोहरानेके लिए विवश दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि क्या स्वच्छ हवामें सांस लेना भी अब नागरिकोंके लिए एक दुर्लभ सुविधा बनकर रह जायगा। वायु प्रदूषण किसी एक कारण या किसी एक राज्यकी देन नहीं है। वाहनोंसे निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलोंसे उड़ती धूल, सड़कोंपर जमा मिट्टी, कचरा और जैविक पदार्थ जलाना, ताप विद्युत संयंत्रोंसे होने वाला उत्सर्जन तथा कृषि अवशेषोंका दहन इसके प्रमुख कारणोंमें शामिल हैं। सर्दियोंमें तापमान गिरने, हवाकी गति कम होने और वायुमंडलीय परिस्थितियोंके कारण प्रदूषक जमीनके निकट जमा हो सकते हैं। इससे प्रदूषणका प्रभाव अधिक गम्भीर हो जाता है। इस प्रकार मौसम समस्याको बढ़ाता अवश्य है, लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाले मूल

कारण मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उनके अप्र्याप्त नियमन से जुड़े हैं।

दिल्ली–एनसीआर की स्थिति इस संकटका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दिल्लीके साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम,



फरीदाबाद और आसपासके अनेक शहर एक–दूसरेसे जुड़े वायु क्षेत्रका हिस्सा हैं। इसलिए केवल दिल्लीकी सीमाओंके भीतर उपाय करनेसे समस्याका स्थायी समाधान संभव नहीं है। हवा किसी प्रशासनिक सीमाको नहीं मानती, वह प्रदूषणकी भी एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रतक पहुंचाती है। अतः समाधान भी क्षेत्रीय सहयोग, साझा जवाबदेही और समन्वित कार्ययोजनापर आधारित होना चाहिए। वायु प्रदूषणका सबसे भयावह पक्ष उसका स्वास्थ्यपर पड़ने वाला प्रभाव है। विशेष रूपसे पीएम २.५ जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण फेफड़ोंकी गहराईतक पहुंच सकते हैं और कुछ परिस्थितियोंमें रक्तजवाहक प्रवेश कर सकते हैं। इनके लम्बे समयतक संपर्कमें रहनेसे हृदय एवं फेफड़ों संबंधी

लोकतांत्रिक स्वरूपको बिगाड़नेका प्रयास

भारतीय लोकतंत्रमें पार्टियोंका बनना–बिगड़ना कोई नयी बात नहीं है। मुख्य न्यायाधीशकी बेरोजगारीसे संबंधित एक टिप्पणीमें ‘काकरोच’ शब्दसे निकली सोशल मीडियाकी पार्टी काकरोच जनता पार्टी वैसी ही एक पार्टी है।

☐ राधा रमण

अमेरिका रिटर्न महाराष्ट्रके सभाजीनगर निवासी अभिजीत दीपके यह दावा करते हैं कि काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) चुनावी राजनीतिसे दूर रहनेवाली एक फ़्रेशर ग्रुप है। लेकिन सीजेपीके पदाधिकारियोंके ख्वाब बड़े हैं। नीट पेपरलॉक मामलेमें केन्द्रीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानके इस्तीफा दे देनेके बाद तो उनकी महत्वाकांक्षा और भी कुल्लांचे मारने लगी है। मोदी सरकारके कार्यकालमें यह पहला मौका था, जब ज़रूरतके आगे सरकारको स्पॉन्ड करना पड़ा, वरना पिछले १२ वर्षोंसे तो लोगबाग केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंहकी पूर्वमें कही बातको सच मान बैठे थे कि यह अलग मिजाजकी सरकार है, वहां इस्तीफा नहीं होता है। देशने देखा कि कि चाहे विवादमें फंसनेपर तत्कालीन राज्यमंत्री कौशल किशोरका मामला हो, बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंहका, अजय मिश्र देनीका अथवा हरदीप सिंह पुरीका, विपक्षके चौतरफा दबावके बावजूद सरकारकी संहतपर कोई असर नहीं पड़ा। किसीका इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन सीजेपीके एक धरनेने सरकारकी चूल्हे हिला दी।

काकरोच नाम भले हो मजाकिया लगे, परन्तु इसके पीछेका गुस्सा और अनुभव बहुत गहरा है। काकरोचका स्वभाव क्या है। वह अंधेरेमें रहता है, गन्दगीमें पनपता है, रोशनी पड़ते ही भागता है मारो तो और तेजीसे फैलता है। सबसे बड़ी बात उसकी प्रजाति कभी खत्म नहीं होती। यही दावा अभिजीत दीपके भी करते हैं। शिक्षामंत्री पदसे धर्मेन्द्र प्रधानके इस्तीफेके बाद अभिजीत दीपके और उनकी टीमके नेता अपनेको बिना चुनावी राजनीतिमें उलझ सुपर सरकार मानने लगे। विश्वासी पार्टियां भी मनसे, बेमनसे उनके पीछे–पीछे चलने लगीं। कारण यह कि विपक्ष सरकारके खिलाफ सड़कपर उतरकर आन्दोलन करनेकी हालतमें नहीं रह गया है। यहाँ कार्यकर्ता कम नैते अधिक हो गये हैं। सीजेपीको यह स्पेस अच्छा दिखा। उसके नेता देशभरके स्कूलोंकी दशा सुधारनेके लिए कई राज्योंमें घूमने लगे। राज्यस्थानमें तो पिटे भी, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्रमें विरोध झेला। लेकिन उसके पहले झारखंडमें छात्रोंके आन्दोलनसे दूरी बना ली। पंजाबके स्कूलोंकी बेहतरीकी बात करने लगे। इससे संदेह गहर गया। पड़तालमें पता चला कि सीजेपीके पूरे नेतृत्वका पूर्वमें आम आदमी पार्टीसे जुड़ाव रहा है। इससे सरकारको उन्हें घेरनेका बढ़िया मौका मिल गया। उधर, गांधे बगाने सीजेपीके लोग आदलतोंके खिलाफ भी बेवजहकी टिप्पणी करके लगे। इससे भी लोगोंका मोहभंग हुआ।

यह सही है कि देशके हालात आन्दोलनके लिए मुफीद हैं। जनता बढ़ती महंगीसे कराह रही है। आम लोगोंको घरके खर्चें चलानेमें दिक्कत हो रही है। मकान किराया और निजी स्कूलोंकी फीस लगातार बढ़ रही है। कोरोनाके बाद निजी क्षेत्रमें कामगारोंके वेतन–भत्तोंमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, जबकि कामके घंटे बढ़ा

प्रजाके सुखमें ही राजाका सुख और प्रजाके हितमें ही राजाको अपना हित समझना चाहिए।
आत्मप्रियतामें राजाका हित नहीं है, प्रजाकी प्रियतामें ही राजाका हित है।
☐ *चाणक्य नीति*

सर्दियोंसे पहले ही प्रदूषणकी चुनौती

सर्दियोंने अभी दस्तक भी नहीं दी है कि देशके अनेक शहरोंकी हवामें प्रदूषणका जहर घुलने लगा है। दिल्ली–एनसीआर सहित उत्तर भारतके कई क्षेत्रोंमें वायु गुणवत्ताका तेजीसे बिगड़ना इस बातका संकेत है कि प्रदूषणका संकट अब सर्दियोंकी मौसमी समस्या नहीं, बल्कि पर्यावरणीय प्रबंधनके सामने गम्भीर चुनौती बन चुका है।

बीमारियों, स्टोक और समयपूर्व मृत्युका जोखिम बढ़ता है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा पहलेसे बीमार लोगोंपर इसका प्रभाव विशेष रूपसे गम्भीर हो सकता है।

यह संकट केवल सांसके मरीजोंतक सीमित नहीं है। स्वस्थ दिखाई देने वाले लोगोंकी कार्यक्षमता, एकग्रता और जीवनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। स्कूल जाने वाले बच्चोंको खुले मैदानमें खेलनेसे रोकना पड़े, बुजुर्ग सुबहकी सैर छोड़नेको विवश हों और श्रमिकोंको जहरीली हवामें काम करना पड़े तो यह केवल पर्यावरणकी समस्या नहीं, बल्कि जीवनकी गरिमा और नागरिकोंके स्वास्थ्यके अधिकारसे जुड़ा प्रश्न है। एयर प्यूरीफायर या मास्क कुछ परिस्थितियोंमें व्यक्तिगत बचावमें सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे स्वच्छ हवाकी सार्वजनिक व्यवस्थाका विकल्प नहीं बन सकते। प्रदूषण बढ़नेपर ग्रेडेड रिसर्पान्स एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्रदूषणकी गम्भीरताके अनुसार निर्माण गतिविधियोंपर प्रतिबंध, वाहनों और उद्योगोंपर नियंत्रण तथा अन्य आपातकालीन कदम उठाये जाते हैं। लेकिन इन उपायोंकी सफलता केवल आदेश जारी करनेसे नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियावन्वयन और निरन्तर निगरानीसे सुनिश्चित होती है। यदि प्रतिबंधोंका

प्रदूषण नियंत्रणकी जिम्मेदारी केवल सरकारकी नहीं है। नागरिकोंको निजी वाहनोंका अनावश्यक उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कचरा और पत्तियां न जलाने तथा ऊर्जाकी बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। पर्यावरण संबंधी नियमोंके उल्लंघनकी सूचना संबंधित अधिकारियोंतक पहुंचाना एवं हरित क्षेत्र बढ़ानेके प्रयासोंमें भाग लेना भी आवश्यक है। साथ ही वायु गुणवत्ताके आंकड़े पारदर्शी ढंगसे सार्वजनिक किये जायं और नागरिकोंको प्रदूषणके स्तरके अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाय।

उल्लंघन होता रहे, निर्माण स्थलोंपर धूल उड़ती रहे और कचरा खुलेमें जलता रहे तो सरकारी घोषणाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकतीं।

सरकारको प्रदूषणके चरमपर पहुंचनेकी प्रतीक्षा करनेके बजाय सितंबर–अक्तूबरसे ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्रदूषणके स्रोतोंकी पहचान, औद्योगिक इकाइयोंका निरीक्षण, सड़कोंकी नियमित सफाई, निर्माण स्थलोंपर धूल नियंत्रण और वाहनोंके उत्सर्जनकी जांच पहलेसे सुनिश्चित की जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहनको मजबूत करना, इलेक्ट्रिक बसोंको बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जाका विस्तार करना और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयोंके विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करना दीर्घकालिक रणनीतिका हिस्सा

आत्मबोध

होना चाहिए। कृषि क्षेत्रमें परगली जलानेकी समस्याका समाधान किसानोंपर जुमाना लगानेभरसे नहीं होगा। उन्हें फसल अवशेषोंके प्रबंधनके लिए सस्ती मशीनें, तकनीकी सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन और स्थानीय स्तरपर उपयोगकी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। किसानोंको समस्याका भागीदार नहीं, समाधानका सहयोगी बनाना होगा।प्रदूषण नियंत्रणकी जिम्मेदारी केवल सरकारकी नहीं है। नागरिकोंको निजी वाहनोंका अनावश्यक उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कचरा और पत्तियां न जलाने तथा ऊर्जाकी बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। पर्यावरण संबंधी नियमोंके उल्लंघनकी सूचना संबंधित अधिकारियोंतक पहुंचाना और स्थानीय स्तरपर स्वच्छता एवं हरित क्षेत्र बढ़ानेके प्रयासोंमें भाग लेना भी आवश्यक है। मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संघटनोंकी जनजागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि स्वच्छ हवाका महत्व केवल प्रदूषणके चरमपर ही याद न आए। साथ ही वायु गुणवत्ताके आंकड़े पारदर्शी ढंगसे सार्वजनिक किये जायं और नागरिकोंको प्रदूषणके स्तरके अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाय।

आज आवश्यकता इस बातकी है कि सरकारें, उद्योग, किसान और

नागरिक अपनी–अपनी जिम्मेदारियोंसे पीछे न हटें। चीनके बीजिंग जैसे शहरोंमें प्रदूषण घटानेके अनुभव यह बताते हैं कि निरन्तर नीतिगत प्रयास, स्वच्छ परिवहन, औद्योगिक नियंत्रण और प्रभावी निगरानीसे उल्लेखनीय सुधार संभव है।

भारतको भी अपनी परिस्थितियोंके अनुरूप ऐसे उपायोंको दृढ़तासे लागू करना होगा। हर साल सर्दियोंमें प्रदूषणसे जूझना और फिर मौसम बदलनेपर समस्याको भूल जाना किसी भी संवेदनशील समाजकी नियति नहीं हो सकती। स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, जीवनकी बुनियादी आवश्यकता है। यदि आज ठोस कदम नहीं उठाये गये तो आने वाली पीढ़ियोंको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए प्रदूषणका मुकाबला संकट गहरानेके बाद नहीं, उससे पहले करना होगा। सरकारकी सक्रियता, प्रशासनकी जवाबदेही और जनताकी जागरूकता ही वह त्रिकोण है, जिसके आधारपर हम दमघोंटू हवासे मुक्तिकी दिशामें आगे बढ़ सकते हैं।



ज्ञान और विवेक

☐ श्रीश्री रविशंकर

क्या तुमने ध्यान दिया है कि प्रत्येक क्षण तुम्हारे मनमें क्या चल रहा होता है। मन इसी उपेड़बुनमें रहता है कि आगे क्या होगा। ज्ञानमें मनके इस रूपके प्रति संयतता आती है कि इस पल मनमें क्या घट रहा है। पुस्तकें पढ़कर अन्य सभी प्रकारकी जानकारी तथा शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। चाहे जन्म हो मृत्यु या खान–पानकी आदत। किसी भी विषयपर अनगिनत पुस्तकें उपलब्ध हैं। परन्तु अपने मनके प्रति जागरूकता पुस्तक पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। हमारा मन वह अतीत और भविष्यके बीच डौलता है। प्रत्येक क्षण या तो वह अतीतको लेकर क्रोधित है या भविष्यको लेकर व्याकुल। एक और प्रवृत्ति है मनकी नकारात्मक बातोंसे चिपके रहने की। यदि दस सकारात्मक घटनाओं या दुष्टतोंके बाद एक नकारात्मक बात घटती है तो हम उन दस अच्छी बातोंको एकदम भूलकर उस एक नकारात्मक घटनासे चिपक जाते हैं। मनको इन दोनों प्रवृत्तियोंके प्रति जागरूकता तुम्हें सहज और सरल बनायगी। यह बेहद अनमोल मूल्य है, जो तुम्हें अंदरसे खिलनेमें सक्षम बनायेगा। दरअसल इस पवित्रज्ञातेके साथ हमारा जन्म होता है। परन्तु जैसे–जैसे हम अधिकसे अधिक परिपक्व और होशियार बनते जाते हैं इस सरलताको खोते हुए रखे बनते जाते हैं। जब तुम बच्चे थे तो कोई समस्या नहीं थी। आज लड़ लेते तो आगले ही दिन दोस्ती हो जाती, परन्तु जैसे–जैसे बड़े होते गये, उलझते गये। ज्ञान और विवेकके अभावमें हम एक–दूसरेसे उलझ जाते हैं। हमारे मनमें घृणा, द्वेष और लालसा भरी हुई है। किसीके मनमें झांक कर देखो। कहीं अन्यके प्रति अति अधिक ज्वरभाव है तो कभी भविष्यके लिए लालसा या फिर अतीतके प्रति द्वेष। ज्ञान और विवेक द्वारा हम समाजमें सुव्यवस्थाको बढ़ावा दे सकते हैं। हमें स्वयंका अध्ययन करना है। जीवन जोनेके लिए सारी बातें सीखनेमें हममें कितना ही समय खर्च किया परन्तु खुद जीवनके बारेमें कितना कम जानते हैं। संसारमें ओतेके बाद जो काम हमने सबसे पहले किया वह था एक गहरी सांस लेना और इस संसारमें जो अंतिम काम हम कर रहे होंगे वह है सांस छोड़ना। पहली बार सांस लेने और आखिरी बार सांस छोड़नेके बीच जो कुछ भी है, उसे हम जीवन कहते हैं। हमने कभी भी अपनी सांसपर ध्यान नहीं दिया। शरीर और मनके बीचका संपर्क सूत्र है सांस और इसके द्वारा मनकी वर्तमानमें टिका सकते हो। क्षासपर ध्यान बनाये रखनेका दूसरा साधन है सेवा। जब सेवाको जीवनका परम ध्येय बना लेते हो, तब भय दूर होता है और मन केंद्रित हो जाता है।

बन सकती है। भीड़के अत्यधिक दबावमें व्यक्तिके लिए सांस लेना और स्वयंको संभालना कठिन हो जाता है। गिरने वाला व्यक्ति दूसरोंके लिए भी गम्भीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे हालातमें कुछ क्षणोंकी अवस्था भी अपनी जिम्मेदारी लील सकती है। इसलिए भीड़ प्रबंधनका अर्थ केवल पुलिसकर्मियोंकी तैनाती, बैरिकेडिंग या लाइड्राईकरसे घोषणाएं करना नहीं है। इसके लिए भीड़की क्षमताका वैज्ञानिक आकलन, आवाजाहीकी सतत निगरानी, प्रशिक्षित कर्मियों और स्पष्ट आपातकालीन योजनाकी आवश्यकता होगी।

धार्मिक आयोजनोंमें सुरक्षाको अक्सर आस्थाके उसाह और आयोजनकी भयत्ताके पीछे गौण कर दिया जाता है। ऊंचे–ऊंचे पंडाल, आकर्षक सजावट, रोशनी, प्रचार और प्रायोजकोंकी प्रतिस्पर्धापर भरपूर ध्यान दिया जाता है लेकिन प्रवेश द्वार कितने हैं, निकास कितना चौड़ा है, आपातकालीनी रास्ते खुले हैं या नहीं, पर्याप्त रोशनी है या नहीं और भीड़ बढ़नेपर क्या किया जायगा, इन बुनियादी सवालोंकी अनदेखी कर दी जाती है। लोकप्रियताके नामपर भीड़को आर्मात्रित करना और फिर उसकी सुरक्षाकी जिम्मेदारीसे बचना किसी भी दृष्टिसे स्वीकार्य नहीं हो सकता। आयोजकोंको समझना होगा कि किसी पूजा पंडालकी सफलता श्रद्धालुओंकी संख्यासे नहीं, बल्कि इस बातसे तय होती है कि प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित घर लौटे। सरकार और प्रशासनकी जिम्मेदारी भी आयोजन स्थलपर पुलिस तैनात कर देनेका सीमित तह हो सकती। अनुमति देनेसे पहले स्थलोंकी क्षमता, प्रवेश–निकास मार्गों, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक मजबूती और आपातकालीन निकासीकी व्यवस्थाका वास्तविक निरीक्षण होना चाहिए। कोई भी तकनीकी त्रुटि कारगर होगी, जब उसके आधारपर समय रहते निर्णय लेने वाले जिम्मेदार लोग मौजूद हों।

जवाबदेही तय करनेमें किसी प्रकारका पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि आयोजकों, अधिकारियों या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियोंकी लापरवाही प्रमाणित होती है तो कानूनके अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल कुछ

गिरफ्तारियों या इस्तीफोंको न्यायकी पूर्णता नहीं माना जा सकता। साथ ही जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषका निर्धारण राजनीतिक बयानबाजीके बजाय साक्ष्योंके आधारपर होना चाहिए। श्रद्धालुओंकी भी अपनी जिम्मेदारी है। ध्धा–मुक़ौसे बचना, अफवाहोंपर विश्वास न करना, सुरक्षा निर्देशोंका पालन करना और अत्यधिक भीड़ दिखाई देनेपर प्रवेश करनेकी जिद न करना आवश्यक है। आयोजकोंको भीड़को आकर्षित करनेके लिए सोशल मीडियापर प्रचार करते समय सुरक्षा क्षमताका ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि नागरिकोंसे सावधानीकी अपेक्षा प्रशासनिक लापरवाहीका विकल्प नहीं हो सकता। सुरक्षाकी प्रार्थमिक जिम्मेदारी उन लोगोंकी है, जो आयोजनकी योजना बनाते हैं, अनुमति देते हैं और व्यवस्था संचालित करते हैं।

फिलहाल चौरबागानकी ज़ासदी हमें चेतावनी दे रही है कि आस्थाका सम्मान केवल पूजा–अर्चना, भव्य पंडालों और धार्मिक नारोंमें होता। उसका वास्तविक सम्मान मानव जीवनकी रक्षासे होता है। मां दुर्गाकी शरणागत शक्ति, विवेक और अन्यायके विरुद्ध संघर्षकी प्रेरणा देती है। यदि उनके दर्शनके लिए उमड़ते श्रद्धालु अव्यवस्थाके कारण अपनी जान गंवा दें तो हमें अपनी व्यवस्थाओंका कठोर आत्ममंथन करना ही होगा। अब वक्त शोक जताकर आगे बढ़ जानेका नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलनेका है। हर धार्मिक स्थल, हर पूजा पंडाल और हर बड़े सार्वजनिक आयोजनमें सुरक्षाको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। जबतक लापरवाहीपर जवाबदेही तय नहीं होगी, सुरक्षा नियमोंका कठोरतासे पालन नहीं होगा और पिछली दुर्घटनाओंसे मिले सबक जमीनपर नहीं उतरेंगे, तबतक श्रद्धालुओंकी जानपर मंडराता खतरा समाप्त नहीं होगा। आस्थाके नामपर मौतकी निशानि मान लेना सबसे बड़ी भूल है। भगवानके दरबारमें ईंसान बिन्दगीकी दुआ मांगने जाता है, जान गंवाने नहीं। किसी भी सभ्य समाज और संवेदनशील शासन व्यवस्थाकी असली परीक्षा यही है कि श्रद्धालु विश्वासके साथ घरसे निकलें और सुरक्षित अपने घर लौटें।